


26.06.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही है। प्रार्थी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र 251"ए" मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.03.2024 वर्तमान स्तर पर तलबी अभाव मे खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

